आयन्दा दिनांक..
को पेश हो।

1.11.19	पत्रावली पक्षकारान उपस्थित वाद जवाब गवाह पत्र हेतु पुनः अवसर चाहते पर स्थगित दिनांक 5-11-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बबलपब
5/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष मौके हिरे से सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु सहमति प्रदान की। अतः सहमति के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शाo मिo किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील आत्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बबलपब

प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019

नेतराम पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रार्थीया

बनाम

1. रामनिवास पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (भूमिधारक) नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते कायम करने स्थायी सीमा चिन्ह
प्रार्थना–पत्र अं.धारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0
पत्थरगड्डी करवाने बाबत।

निर्णय

निर्णय दिनांक 5.11.2019

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 828 रकबा 2.17 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार है। प्रार्थी उक्त भूमि की सटकर उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 3.25 हैक्टर स्थित है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त खेतों की सीमा के मध्य स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थर गड्डी) नही होने के कारण सीमा को लेकर विवाद रहता है। उक्त सिमा विवाद आरे अधिक नही बढे इसलिए प्रार्थी के अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 828 रकबा 2.17 हेक्टर का तहसीलदार से सीमा ज्ञान दिनांक 22.11.2017 को करवा उक्त सिमा ज्ञान के अनुसार प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 828 रकबा 2.17 की उत्तरी सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थर गड्डी) करवाना चाहता है जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें में पेश है। प्रार्थी स्थाई सिमा चिन्ह बाबत शुल्क जामा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिए अदालत हाजा को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का पूरा–पूरा क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। ग्राम ढिगाल की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 828 रकबा 2.17 हेक्टर की उत्तरी सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरी गड्डी) करने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य उपस्थित होकर अपना वकालत नामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे अंकित कथन कि खसरा नम्बर 828 स्थित सरहद ग्राम ढिगाल का आवेदक खातेदार है, स्वीकर है। मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों में भूमि खसरा नम्बर 828 के उतर में भूमि खसरा नम्बर 830 स्थित सरहद ग्राम ढिगाल स्थित है, स्वीकार है जिसका खातेदार प्रार्थी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित कथन एक साथ व अलग अलग जिस प्रकार से दर्ज किये गये है पूर्णरूप से गलत होने के कारण अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन है कि उसने दिनांक 22.11.2017 को सीमाज्ञान करवाया था लेकिन इस सीमाज्ञान की प्रार्थी को कोई जानकारी नही है न ही मौके पर सीमाज्ञान किया तब ही सीमाज्ञान करने वाले पटवारी/गिरदावर ने ही प्रार्थी को कोई इत्तला नही दी ना ही आवेदक ने कोई इतला प्रार्थी को दी। प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

मद संख्या 4, 5, कानूनी है। मद संख्या 6 प्रार्थना पत्र में दर्ज कथन कानूनी है इसके अन्त में आवेदक जो सन्तोष मांग रहा है वह कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

इसके अतिरिक्त उतर पेश किया कि आवेदक केवल अपने खेत की उतरी सीमा मे ही पत्थरी गढी करवाना चाहता है तथा उतरी सीमा का ही सीमाज्ञान उसने करना बताया है जो गलत हैआवेदक के पास अपने सम्पूर्ण रकबे कीजमीन उसके कब्जे में है। आवेदक व अनावेदक के मध्य सीमा में बहुत पुराने सीमा निशान पेड खडे है एवं पत्थर भी खडे हुये है इन पत्थरां में से कुछ पत्थर आवेदक ने खुद ने उखाडे है तथा उसने सीमा काटने की कुचेष्टा की है। आवेदक के खेत की चारो सीमाओं को नापे बिना उसके कब्जे काश्त का निर्धारण नही हो सकता है। प्रार्थी की खातेदारी में पीढीयों से जितना रकबा चलता आ रहा है उसी रकबे पर मोके पर कब्जा प्रार्थी को चाहिए जिसका पहले निर्धारण किया जाना आवश्यक है। मौजूदा में खरीफ की फसल की काश्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में वैसे ही कानूनन भी खेतों की नपाई नही हो सकती है और बिना नपाई पत्थर गढी हानेा सम्भव नही है। आनावेदक ने आवेदक की कोई जमीन नही दबाई है अगर उसकी कोई जमीन दबाई गई है तो उसके दक्षिण–पूर्व एवं पश्चिम वाले खेतों में दबी है जस कारण उस सबी नपती की जाकर सीमा का सही निर्धारण करना न्यायहित में आवश्यक है जिससे सभी के साथ न्याय हो सके। आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे। अनावेदकगण 2 द्वारा अनापति प्रस्तुत की उभय पक्ष सहमति हो तो कोई सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु कोई ऐतराज नही होगा।

अतः बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष नये सिरे से दोनो पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु सहमत है। नकल जमाबंदी ग्राम ढिगाल संम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 828 रकबा 2.17 है0 की खातेदारी नेतराम पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अतः उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। ग्राम ढिगाल की भूमि ख.न. 828 रकबा 2.17 है0 का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नये सिरे से सीमाज्ञान कर पत्थगड्डी करवाये जाने बाबत तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा कराया जायेगा। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.22 16:46:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: